



ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर दूरभाष-0141-2226861, 2225619

रूडा/स्टोर/निविदा/2019-20/384

दिनांक 28.6.2019


अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

रूडा कार्यालय द्वारा दो वर्ष के लिए राज्य में गैर कृषि क्षेत्र में रूडा से संबंधित उपक्षेत्र वस्त्र एवं ऊन, लघु खनिज, एवं चर्म के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यक्रमों इत्यादी के आयोजनों में रुचि रखने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों को सूचीबद्ध करने हेतु ई-उपापन के माध्यम से अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम स.	कार्य	निविदा आवेदन डाउनलोड करने एवं ऑन लाइन अपलोड करने की दिनांक व समय	अनुमानित लागत	प्रतिभूति राशि	ई-उपापन हेतु प्रक्रिया शुल्क	निविदा प्रपत्र का शुल्क
1	NGO Empanelment for training programs	24-7-2019 समय दोपहर 2 बजे तक	30.00 लाख	6000/-	500/-	500/-

प्रस्ताव आमंत्रण हेतु प्रपत्र State Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> or e-procurement portal <http://eproc.rajasthan.gov.in> or website www.ruda.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं निविदादाता द्वारा केवल ई-उपापन के माध्यम से दिनांक 24 जूलाई 2019 को दोपहर 2.00 बजे तक ऑन लाइन आवेदन किये जा सकते हैं। निविदादाता बोली दस्तावेज का शुल्क राशि रूपये 500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि 6000/- का बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रूडा, जयपुर के नाम से देय, अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। उपापन फीस राशि रूपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट MD RISL Jaipur के नाम देय एवं अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

उक्त सभी दस्तावेज, निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर मय मोहर सहित, जिनकी Softcopy एक ई-उपापन आवेदन प्रक्रिया के साथ संलग्न है की, हार्डकोपी सील बन्द लिफाफे में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रूडा, के नाम से दिनांक दिनांक 24 जूलाई 2019 को दोपहर 3.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक होगा। अहस्ताक्षरित एवं 24 जूलाई 2019 को दोपहर 3.00 बजे पश्चात प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा। तथा निविदा उसी दिन साय: 4.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेगी। अन्य विवरण एवं शर्तें प्रपत्र में अंकित हैं।


कार्यकारी निदेशक
28.6.2019

क्रय तिथि : 24.7.2019 दोपहर 2.00 बजे तक
जमा करने की तिथि : 24.7.2019 सांय 3.00 बजे
मूल्य : 500/- रूपये

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण

(बी-ब्लॉक, तृतीय तल, तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर फोन नं. 2226861 फैक्स 5104844)

दिनांक

सूचीबद्ध करने की शर्तें

1. गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव वांछित है। (अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तावेजों को बिन्दु संख्या 1 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रूप से मार्क करें)।
2. गैर सरकारी संगठन को गैर कृषि क्षेत्र में हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यो का अनुभव होना चाहिये तथा गत 5 वर्षों में राजकीय संस्थाओं में रूडा के उपक्षेत्र जैसे कि ऊन एवं वस्त्र, लघु खनिज, चर्म क्षेत्र अथवा हस्तशिल्प से संबंधित प्रशिक्षण/कार्यक्रम /डाईगोनेस्टिक स्टेडी इत्यादि कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। उक्त 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों के कार्य आवंटन पत्र संलग्न करना आवश्यक है (अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तावेजों को बिन्दु संख्या 2 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रूप से मार्क करें)।
3. गैर सरकारी संगठन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं आयकर अधिनियम आवश्यक होने पर के तहत पंजीकृत हो (अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तावेजों को बिन्दु संख्या 3 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रूप से मार्क करें)।
4. गैर सरकारी संगठन/संस्था के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबंध कार्यकारिणी/निदेशक मंडल के सदस्य किसी अपराध के लिय सजा प्राप्त नहीं हों।
5. गैर सरकारी संगठन/संस्था गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष हो।
6. गैर सरकारी संगठन/संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो एवं इसमें विगत 3 वर्षों में प्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु कम से कम 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष के फंड्स का उपयोग किया हो। (अनुच्छेद में पृथक से तीन वर्षों की सनदी लेखाकार द्वारा जारी बैलन्सशीट के दस्तावेजों को बिन्दु संख्या 6 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रूप से मार्क करें)।
7. गैर सरकारी संगठन के पास क्रियान्वयन से संबंधित विशेषज्ञों यथा प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर, मास्टर ट्रेनर डिजाईनर तकनीकि विशेषज्ञ एवं मार्केटिंग असिसटेण्ट का पेनल एवं कम से कम (3)तीन नियमित कार्मिकों का स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध हों।(सूचना संलग्न करें)
8. गैर सरकारी संगठन/संस्था की राजकीय संस्थाओं/समाज एवं दानदाताओं में अच्छी प्रतिष्ठा हों एवं राज्य/केन्द्र सरकार अन्य कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा इसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो।
9. गैर सरकारी संगठन/संस्था में लेखा संधारण अंकेक्षण एवं मानव श्रम प्रबंधन की समुचित व्यवस्था हो।

24/7/19
24/7/19

10. गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य का आवंटन रुडा के प्रबन्धन द्वारा निर्णय लेकर किया जायेगा। गैर सरकारी संगठनों के सूचीबद्ध होना किसी भी प्रकार से उन्हें परियोजना के संचालन में उनकी भागीदारी को सम्मिलित करना बाध्यता नहीं होगी।
11. सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों को भविष्य में विभिन्न प्रशिक्षण इत्यादि से सम्बन्धित कार्य का आवंटन रुडा में इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता पर सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की उपयोगिता, आवश्यकता व गुणवत्ता पर दिया जावेगा तथा आवश्यकता होने पर रुडा द्वारा संस्थाओं से सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव पर प्रजेन्टेशन लिया जा सकता है।
12. इच्छुक गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को बतौर अमानत राशि रूपये 6000/- केवल ड्रिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी जिसके बिना संबंधित प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। (अमानत राशि जमा कराने का प्रमाण-पत्र तकनीकी निविदा फार्म के साथ अनुच्छेद संख्या 12 के रूप में संलग्न करना होगा।)
13. सफल गैर सरकारी संगठन का चयन निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा। असफल गैर सरकारी संगठन के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. सफल गैर सरकारी संगठन से अनुबन्ध 24 माह के लिए प्रभावी होगी तथा इस अनुबन्ध को रुडा द्वारा गैर सरकारी संगठन के संतोषप्रद सेवाओं के आधार पर आपसी सहमति से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का अधिकार होगा।
15. रुडा द्वारा पंजीकृत एन.जी.ओ. को कार्य आवंटन रुडा में कार्यक्षेत्र की आवश्यकता एवं उपलब्ध बजट तथा अन्य राजकीय निर्देशों के आधार पर दिया जावेगा। कार्य आवंटन रुडा के प्रशिक्षण तथा अन्य स्वीकृत मोड्यूलों के अनुरूप ही दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में इन मोड्यूल में छुट का अधिकार रुडा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय को होगा।
16. यदि आवश्यकता हुई तो एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठन) को रुडा के उपक्षेत्रों के अनुसार पैनल तैयार किया जावेगा। यह क्षेत्राधिकार रुडा के पास सुरक्षित रहेगा।
17. संस्था को आवश्यक शर्तों के क्रम में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। (अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तावेजों को बिन्दु संख्या 17 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रूप से मार्क करें)।
18. गैर सरकारी संगठन के विधान में क्षेत्राधिकार एवं उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। (अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तावेजों (विधान) को बिन्दु संख्या 18 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रूप से मार्क करें)।
19. अधिक संख्या में गैर सरकारी संगठन के प्रस्ताव आने पर अनुभव एवं मापदण्डों के आधार पर वरीयता सूची बनाकर उचित संख्या में एन.जी.ओ. को पंजीकृत किया जायेगा। (अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तावेजों (विधान) को बिन्दु संख्या 19 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रूप से मार्क करें)।
20. पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को उनके पंजीकृत जिले के आधार पर भी कार्य आवंटन में प्राथमिकता दी जा सकती है। यह क्षेत्राधिकार रुडा के पास सुरक्षित रहेगा।
21. जो अभिरूचि प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे, उन पर विचार नहीं किया जायेगा।


Signature
27/06

22. अभिरूचि प्रस्ताव के मूल्यांकन में संस्था को कम से कम 50 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
23. अभिरूचि प्रस्ताव प्राधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा), तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर है।
24. अभिरूचि प्रस्ताव हेतु बोली दस्तावेज का शुल्क का ड्राफ्ट, बोली प्रतिभुति राशि का ड्राफ्ट, उपापन फीस का ड्राफ्ट दिनांक 24.7.2019 तक अपरान्ह 3.00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। इसके पश्चात् प्राप्त अभिरूचि प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को आयकर, जीएसटी एवं अन्य जो भी राजकीय एवं केन्द्रीय कर लागू है के प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। (अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तवेजों को बिन्दु संख्या 24 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रूप से मार्क करें)।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।
27. स्वैच्छिक विकास परिषद एंवम नीति आयोग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों का पंजीयन आवश्यक करने पर कार्य आवंटन पंजीयन होने की शर्ताधीन रहेगा। वर्तमान में पंजीयन होने की स्थिति में दस्तावेज संलग्न करे अन्यथा इस सम्बन्ध में अन्डरटैकिंग प्रस्तुत करे। (अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तवेजों को बिन्दु संख्या 27 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रूप से मार्क करें)।
28. किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) को पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर संस्था प्रतिनिधि
मय संस्था सील


27/06

निविदा फॉर्म

1. प्रेषक:

क.	गैर सरकारी संगठन / संस्था का नाम	
ख.	पता	
ग.	दूरभाष नं.	
	फैक्स	

2. निविदा संदर्भ :

दिनांक

3.

क.	गैर सरकारी संगठन / संस्था का नाम	
ख.	संबंधित व्यक्ति का नाम	
ग.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
घ.	दूरभाष नं.	
ङ.	फैक्स नं.	


4. निविदा-फॉर्म फीस (रु. 500/-) रसीद संख्या/डीडीनं0.....दिनांक.....
द्वारा जमा कर दी गई है।

5. अमानत राशि जमा कराने का विवरण:-

	अमानत राशि जमा	संख्या	दिनांक
क.	ड्राफ्ट / बैंकर चेक (स्थानीय)		

स्थान

दिनांक :


२५/०६

हस्ताक्षर संस्था प्रतिनिधि
मय संस्था सील

तकनीकी भाग


1.	संस्था का नाम	
2.	कार्यालय का नाम	
3.	मुख्य कार्यकारी व्यक्ति का नाम क. दूरभाष नं. ख. मोबाईल नं. ग. फ़ैक्स नं. घ. ई मेल पता	
4.	पंजीकृत संस्थासोसायटी रजि. एक्ट/ सहकारिता अधिनियम/ भारतीय कम्पनी अधिनियम/ फर्म रजिस्ट्रेशन/ आयकर अधिनियम/जीएसटी टैक्स से संबंधित सूचना अंकित करें। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	संस्था का पेन नम्बर	
6.	कार्य अनुभव कुल वर्षों में अंकित करे (शर्त संख्या 1)	
7.	गत 5 वर्षों में सम्पन्न की गई परियोजनाएँ एवं राजकीय संस्थाओं के लिए किये गये कार्यक्रमों के संबंध में सूचना एवं प्रमाण संलग्न करें। (शर्त संख्या 2)	
8.	रूडा के लिए गत वर्षों में की गई डाइगोनेस्टिक स्टेडी यदि कोई हो तो सूचना अंकित करें।	
9.	विगत 3 वर्षों में प्रोजेक्ट्स वर्ष विभाग आवंटित राशि क्रियान्वयन हेतु आवंटित 2015-16 एवं उपयोग की गई राशि 2016-17 का विवरण 2017-18 (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	उपयोग की गयी राशि
10.	संस्था/कार्यरत नियमित स्टाफ की संख्या मय विवरण	
11.	अमानत राशि का विवरण (शर्त संख्या 12)	
12.	पात्रता की शर्तों से बाध्यता के संबंध में शपथ पत्र (100 रु के नॉनज्यूडिशियल संलग्न करें) (शर्त संख्या 17)	
13.	संस्था विधान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित	

Ali
25/06

	कराये जाने का उल्लेख (विधान की प्रति संलग्न कर मार्क करें (शर्त संख्या 18)	
14.	रुडा में कार्य करने का अनुभव यदि हो तो (शर्त संख्या 19)	
15.	अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (शर्त संख्या 24)	
16.	स्वैच्छिक विकास परिषद के अन्तर्गत पंजीयन यदि हो तो (शर्त संख्या 27)	
17.	अन्य विवरण यदि आवश्यक हो तो	

स्थान :
दिनांक

हस्ताक्षर संस्था प्रतिनिधि
मय संस्था सील


२५/०६

संलग्न दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	शर्त संख्या	संलग्न दस्तावेजों का विवरण	दस्तावेजों की संख्या	हाँ / नहीं
1.	1			
2.	2			
3.	3			
4.	6			
5.	7 **			
6.	12			
7.	17			
8.	18			
9.	19			
10.	27			
11.				
12.				
13.				
14.				

ऊपर वर्णित आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज भी संस्था संलग्न कर सकती है।

स्थान :
दिनांक


हस्ताक्षर संस्था प्रतिनिधि
मय संस्था सील

[Handwritten Signature]
28/06

शपथ पत्र का प्रारूप (100 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....उम्र.....
जाति.....निवासी.....जो कि.....
.....नाम गैर सरकारी संगठनों/संस्था में.....
.....पद पर कार्यरत हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. गैर सरकारी संगठन को न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है।
2. गैर सरकारी संगठन को गैर कृषि क्षेत्र में हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यो का अनुभव होना है तथा गत् 5 वर्षों में राजकीय संस्थाओं में रूडा से संबंधित गैर कृषि उपक्षेत्र जैसे कि ऊन एवं वस्त्र, लघु खनिज, चर्म क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण/कार्यक्रम /डाईगोनेस्टिक स्टेडी कार्य का अनुभव है।
3. गैर सरकारी संगठन संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं आयकर अधिनियम आवश्यक हाने पर के तहत पंजीकृत है।
4. गैर सरकारी संगठन/संस्था के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबंध कार्यकारिणी/निदेशक मंडल के सदस्य किसी अपराध के लिय सजा प्राप्त नहीं है।
5. गैर सरकारी संगठन/संस्था गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष है।
6. गैर सरकारी संगठन/संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ है एवं विगत 3 वर्षों में प्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु आवंटित कम से कम 10 लाख रू के फंड्स का उपयोग किया है।
7. गैर सरकारी संगठन के पास क्रियान्वयन से संबंधित विशेषज्ञों तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर, मास्टर ट्रेनर डिजाईनर तकनीकि विशेषज्ञ एवं मार्केटिंग असिसटेण्ट का पेनल एवं पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध है।
8. गैर सरकारी संगठन/संस्था की राजकीय संस्थाओं/समाज एवं दानदाताओं में अच्छी प्रतिष्ठा हैं एवं राज्य/केन्द्र सरकार अन्य कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा इसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
9. गैर सरकारी संगठन/संस्था में लेखा संधारण अंकेक्षण एवं मानव श्रम प्रबंधन की समुचित व्यवस्था है।
10. गैर सरकारी संगठन का सूचीबद्ध होना किसी भी प्रकार से उन्हेंपरियोजना के संचालन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए गारंटी नहीं है।


25/06

11. सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों को भविष्य में विभिन्न प्रशिक्षण इत्यादि से सम्बन्धित कार्य का आवंटन रुडा में इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता पर सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की उपयोगिता, आवश्यकता व गुणवत्ता पर दिया जावेगा तथा आवश्यकता होने पर रुडा द्वारा संस्थाओं से सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव पर प्रजेन्टेशन लिया जा सकता है।
12. गैर सरकारी संगठन के उपविधान में प्रशिक्षण/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने का स्पष्ट उल्लेख है।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।
14. किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (रूडा) को पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

दिनांक:

गवाह


सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....उम्र.....
जाति.....निवासी.....सत्यापित करता/करती हूँ कि
उपरोक्त समस्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं एवं इसमें कोई तथ्य
नहीं छुपाये गये हैं।।

स्थान :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

दिनांक:


२५/०६